

बिहार सरकार
अल्पसंख्यक कल्याण विभाग

महालेखाकार (ले० एवं ह०),
बिहार, पटना।

पटना, दिनांक

विषय:- बिहार राज्य अल्पसंख्यक आवासीय विद्यालय योजनान्तर्गत पूर्वी चम्पारण (मोतिहारी) जिलान्तर्गत सुगौली, अंचल अन्तर्गत मौजा-मंसिंघा में 560 (पाँच सौ साठ) आवासन क्षमता वाले अल्पसंख्यक आवासीय विद्यालय के भवन निर्माण हेतु केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के कुर्सी क्षेत्रफल दर-2023 पर तकनीकी अनुमोदित प्राक्कलन की राशि ₹5983.43 लाख (उनसठ करोड़ तेरासी लाख तैतालीस हजार रुपये) मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति के आलोक में वित्तीय वर्ष 2026-27 में राशि ₹990.00 लाख (नौ करोड़ नब्बे लाख रुपये) मात्र की निकासी एवं अंतरण की स्वीकृति।

आदेशः— स्वीकृत ।

महाशय,

महाशय, बिहार राज्य अल्पसंख्यक आवासीय विद्यालय योजनान्तर्गत पूर्वी चम्पारण (मोतिहारी) जिलान्तर्गत सुगौली, अंचल अन्तर्गत मौजा-मंसिंघा (गैर मजरूआ आम परती कदीम) थाना संख्या-58, खाता संख्या-12, खेसरा संख्या-400/01 रकबा-03 एकड में 560 (पाँच सौ साठ) आवासन क्षमता वाले अल्पसंख्यक आवासीय विद्यालय के भवन निर्माण हेतु केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के कुर्सी क्षेत्रफल दर-2023 पर तकनीकी अनुमोदित प्राक्कलन की राशि ₹5983.43 लाख (उनसठ करोड़ तेरासी लाख तैंतालीस हजार रुपये) मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की गई है। अब तक इस योजना हेतु कुल राशि ₹3800.00 लाख रुपये निगम को उपलब्ध कराया जा चुका है। उक्त योजना के निर्माण हेतु वर्तमान वित्तीय वर्ष 2026-27 में राशि ₹990.00 लाख (नौ करोड़ नब्बे लाख रुपये) मात्र की निकासी एवं अंतरण की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

2. यह राशि मांग सं०- 30 अन्तर्गत मुख्य शीर्ष- 4225-अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों और अल्पसंख्यकों के कल्याण पर पूंजीगत परिचय्य उपमुख्य शीर्ष- 04-अल्पसंख्यकों का कल्याण, लघु शीर्ष- 051-निर्माण-समूह शीर्ष- राज्य स्कीम के अन्तर्गत उपशीर्ष-0105-अल्पसंख्यक आवासीय विद्यालय विपत्र कोड सं०-30-4225040510105, विस्तृत शीर्ष- 53-मुख्य निर्माण कार्य एवं वस्तुगत शीर्ष-01- मुख्य निर्माण कार्य के अन्तर्गत विकलनीय होगा।

3. इस राशि की निकासी वित्तीय वर्ष 2026-27 में निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, अल्पसंख्यक कल्याण विभाग, बिहार, पटना द्वारा सचिवालय कोषागार, सिंचाई भवन, पटना से बी०टी०सी० फॉर्म-46 में विपत्र तैयार कर CFMS के माध्यम से कार्यकारी एजेंसी प्रबंध निदेशक, बिहार राज्य भवन निर्माण निगम लि०, पटना के पी०एल० खाता संख्या-PNBPLA007, LEDGER ID- 1558, (RECEIPT HOA- 8448-00-120-0017-00-01) में अंतरण करेंगे। तत्पश्चात् CFMS जनित चालान टी०वी० सहित कार्यकारी एजेंसी एवं प्रशाखा-08 (आवासीय विद्यालय) को उपलब्ध करायेंगे।

4. उक्त राशि की निकासी वित्त विभाग के पत्रांक-2561, दिनांक-17.04.1998 के आलोक में की जायेगी।

5. कार्यकारी एजेंसी, बिहार राज्य भवन निर्माण निगम लि०, पटना उक्त राशि के व्यय के पश्चात् व्यय प्रतिवेदन विभाग को उपलब्ध करायेंगे।

6. इस राशि का उपयोग किसी भी परिस्थिति में, अल्पसंख्यक कल्याण विभाग, बिहार, पटना के संकल्प संख्या-441, दिनांक-23.05.2018 में उल्लेखित प्रावधानों/मार्गनिर्देशिका के अनुरूप व्यय किया जायेगा।

7. योजनान्तर्गत बिहार PWD संहिता एवं वित्त विभाग के पत्रांक-4989 वि०(2), दिनांक-16.05.2013 तथा संबंधित अद्यतन परिपत्र/आदेश की भी कड़िकाओं का अनुपालन कार्यकारी एजेंसी द्वारा अपेक्षित होगा।

8. वित्त विभाग के पत्रांक-7355 वि० दिनांक 05.10.2007 के आलोक में उस राशि की निकासी हेतु महालेखाकार, बिहार, पटना से प्राधिकार पत्र प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं है।

9. योजना का कार्यान्वयन "बिहार राज्य अल्पसंख्यक आवासीय विद्यालय योजना" की मार्ग-निर्देशिका तथा सरकार द्वारा समय-समय पर निर्गत पत्र/परिपत्रों के आधार पर किया जायेगा।

10. संबंधित जिला अल्पसंख्यक कल्याण पदाधिकारी एवं बिहार राज्य भवन निर्माण निगम लि० पटना के क्षेत्रीय कार्यालय से समन्वय स्थापित कर निर्माण कार्य में गति लाने हेतु प्रयासरत रहेंगे।
11. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी निकासी के दौरान वित्तीय नियमावली के नियमों व वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर जारी संकल्पों एवं परिपत्रों का अनुपालन सुनिश्चित करेंगे।
12. योजना का क्रियान्वयन मार्ग निर्देशिका में वर्णित प्रावधानों के अनुसार किया जायेगा।
13. व्यय उसी मद व उसी प्राधिकार द्वारा किया जाता है, जो उसके लिए प्राधिकृत हो।
14. उपरोक्त पर आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति प्राप्त है।
15. उपरोक्त पर सचिव का अनुमोदन प्राप्त है।

विश्वासभाजन

ह०/-

सरकार के अपर सचिव

पटना, दिनांक

ज्ञापांक-अ०स०क०-07-ग०-आ०वि०-13 / 2020...../

प्रतिलिपि:-महालेखाकार (लेखा परीक्षा), महालेखाकार कार्यालय, बीरचंद पटेल पथ, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

ह०/-

सरकार के अपर सचिव

पटना, दिनांक 08/07/2020

ज्ञापांक-अ०स०क०-07-ग०-आ०वि०-13 / 2020...../

प्रतिलिपि:-सचिव, भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना/प्रबंध निदेशक/मुख्य महाप्रबंधक, बिहार राज्य भवन निर्माण निगम लि०, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

सरकार के अपर सचिव